[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 03/2020-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सा. का. नि. ....**(अ).-** केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथाः-

1. उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची । - 2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची ।। - 6% में,-

(i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथाः-

"75अ	3605 00 10	सभी माल";

(ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची ।।। – 9% में,-

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/34/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधान अधिसूचना सं.1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673 (अ) दिनाँक 28

जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020- केन्द्रीय कर (दर), दिनाँक 21 फरवरी 2020, सा.का.नि. 134(अ), दिनाँक 21 फरवरी 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।